# बाल शोषण और उपेक्षा हेतु Washington के कानून

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य बच्चों के शोषण और उपेक्षा से संबंधित अहम Washington कानूनों पर शिक्षा प्रदान करना है और ये Revised Code of Washington (Washington की संशोधित संहिता, RCW) और Washington Administrative Code (Washington की प्रशासनिक संहिता, WAC) का संदर्भ देता है।

## क्या शारीरिक अनुशासन ठीक है?

हां, किसी बच्चे का शारीरिक अनुशासन, जिसमें उचित उपयोग या शारीरिक दंड शामिल है, को दुर्व्यवहार या गैरकानूनी नहीं माना जाता है जब यह उचित और मध्यम होता है और माता-पिता, शिक्षक या अभिभावक द्वारा बच्चे को नियंत्रित करने या सही करने के उद्देश्य से किया जाता है।ये निर्धारित करने में कि शारीरिक क्षति उचित या मध्यम है या नहीं, बच्चे की उम्र, आकार और स्थिति और किसी भी चोट के स्थान पर विचार किया जाएगा। अन्य कारकों में बच्चे का विकासात्मक स्तर और बच्चे के कदाचार की प्रकृति शामिल हो सकती है। माता-पिता का यह मानना कि बच्चे को दंडित करना ज़रूरी है, बच्चे के विरुद्ध अत्यधिक, असंयमित या अनुचित बल के प्रयोग को उचित या अनुमति नहीं देता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे पर बल का कोई भी प्रयोग तब तक गैरकानूनी है जब तक कि ये उचित और मध्यम न हो और बच्चे को नियंत्रित करने या सही करने के उद्देश्य से बच्चे के माता-पिता या अभिभावक द्वारा पहले से अधिकृत न हो।

- RCW 9A.16.100: **https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100**
- WAC 110-30-0030: **https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030**

## असंयमित या अनुचित शारीरिक बल क्या है और इसे शारीरिक शोषण माना जाता है?

शारीरिक शोषण का मतलब है किसी बच्चे को गैर-आकस्मिक शारीरिक चोट पहुंचाना या शारीरिक दुर्व्यवहार करना जो बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। इसमें निम्न जैसी कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं:

(a) बच्चे को फ़ेंकना, लात मारना, जलाना या काटना;

(b) एक बच्चे को बंद मुट्ठी से मारना;

(c) तीन साल से कम उम्र के बच्चे को थरथराना;

(d) बच्चे की सांस लेने में रुकावट डालना;

(e) किसी बच्चे को घातक हथियार से धमकाना; या

(f) कोई अन्य कार्य करना जिससे क्षणिक दर्द या मामूली अस्थायी निशान से ज़्यादा शारीरिक क्षति होने की संभावना हो या जो बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए हानिकारक हो।

- RCW 9A.16.100: **https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100**
- WAC 110-30-0030: **https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030**

## यौन शोषण किसे माना जाता है?

यौन शोषण का मतलब आपराधिक संहिता में परिभाषित किसी बच्चे के खिलाफ़ कोई भी यौन अपराध करना या करने की अनुमति देना है। जानबूझकर किसी बच्चे के यौन या अन्य अंतरंग अंगों को, सीधे या कपड़ों के माध्यम से, छूना या अनुमति देना, अनुमति देना, मजबूर करना, प्रोत्साहित करना, सहायता करना या अन्यथा बच्चे को छूने वाले व्यक्ति, बच्चे या किसी तीसरे पक्ष की यौन इच्छा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी बच्चे को दूसरे के यौन या अन्य अंतरंग भागों को छूने के लिए प्रेरित करना। किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक, बच्चे की देखभाल के लिए माता-पिता या अभिभावक द्वारा अधिकृत व्यक्ति, या बच्चे के लिए चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति, स्वच्छता, बाल देखभाल और चिकित्सा उपचार या निदान प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए बच्चे के यौन या अन्य अंतरंग अंगों को छू सकता है।

WAC 110-30-0030: **https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030**

## यौन शोषण क्या है?

यौन शोषण में यौन तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है क्योंकि ये शर्तें कानून द्वारा परिभाषित हैं और इसमें बच्चे को निम्न में से एक या अधिक में भाग लेने की अनुमति देना, मजबूर करना, प्रोत्साहित करना, सहायता करना या अन्यथा प्रेरित करना जैसी कार्रवाइयां शामिल हैं:

(a) कोई भी यौन क्रिया जब किसी व्यक्ति द्वारा यौन क्रिया के लिए कोई कीमती वस्तु दी जाती है या प्राप्त की जाती है;

(b) यौन रूप से स्पष्ट, अश्लील, या अश्लील गतिविधि की फ़ोटो खींची जाना, फ़िल्माया जाना, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पुनरुत्पादित या प्रसारित किया जाना;

(c) लाइव प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ या यौन संतुष्टि के लिए यौन रूप से स्पष्ट, अश्लील या अश्लील गतिविधि।

WAC 110-30-0030: **https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030**

## क्या मैं अपने बच्चे को किसी यौन अपराधी के साथ, थोड़े समय के लिए भी, अकेला छोड़ सकता हूँ?

नहीं, एक बच्चे को यौन अपराधी की देखभाल में छोड़ना एक दुष्कर्म है जब तक कि अदालत ने अपराधी को बच्चों के साथ बिना निगरानी के संपर्क करने की अनुमति देने वाला आदेश दर्ज नहीं किया है, या अपराधी को किसी परिवार पुनर्मिलन योजना के तहत विचाराधीन बच्चे के साथ बिना निगरानी के संपर्क की अनुमति दी गई हो, जिसे किसी न्यायालय, सुधार विभाग, या department of social and health services (सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा विभाग) द्वारा विभाग की नीतियों के अनुसार अनुमोदित किया गया हो।

एक व्यक्ति अपने बच्चे को यौन अपराधी की देखभाल में छोड़ने के अपराध का दोषी है यदि वह व्यक्ति (a) बच्चे की माता या पिता है; (b) किसी बच्चे की शारीरिक अभिरक्षा सौंपी गई हो; या (c) बच्चे को जीवन की बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है, और बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल या हिरासत में छोड़ देता है जो बच्चे के माता-पिता, अभिभावक या वैध संरक्षक नहीं है, ये जानते हुए कि वो व्यक्ति किसी बच्चे के खिलाफ़ यौन अपराध के कारण, इस राज्य के कानूनों, या समान ज़रूरतों वाले किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कानून या अध्यादेश के तहत यौन अपराधी के रूप में रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है।

RCW 9A.16.100: **https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100**

## लापरवाही भरा व्यवहार या दुर्व्यवहार किसे कहते हैं?

लापरवाहीपूर्ण व्यवहार या दुर्व्यवहार का मतलब है किसी बच्चे के माता-पिता, कानूनी संरक्षक, अभिभावक या देखभालकर्ता की ओर से कोई कार्य या कार्य करने में विफलता, या आचरण, व्यवहार या निष्क्रियता के पैटर्न का संचयी प्रभाव, जो बच्चे के परिणामों की गंभीर उपेक्षा दर्शाता है और बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा करता है।

(a) इस बात पर विचार करते समय कि क्या कोई स्पष्ट और वर्तमान खतरा मौजूद है, एक योगदान कारक के रूप में माता-पिता के मादक द्रव्यों के सेवन के साक्ष्य को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए।

(b) तथ्य यह है कि भाई-बहन एक ही बेडरूम शेयर करते हैं, ये अपने आप में, लापरवाहीपूर्ण व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं है।

(c) गरीबी, बेघर होना, या बच्चे के अलावा किसी अन्य के विरुद्ध की गई घरेलू हिंसा का जोखिम, अपने आप में, लापरवाही भरा व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं है।

(d) किसी बच्चे को उन परिस्थितियों में वास्तविक क्षति या शारीरिक या भावनात्मक नुकसान नहीं उठाना पड़ता है जो बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा करते हैं।

(e) लापरवाहीपूर्ण व्यवहार या दुर्व्यवहार में निम्न में से एक या अधिक शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(i) किसी बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए ज़रूरी पर्याप्त भोजन, आश्रय, कपड़े, पर्यवेक्षण, या स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में विफ़लता, जिससे वो विफ़लता बच्चे के परिणाम की गंभीर उपेक्षा दर्शाती है और बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण, या सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा करती है।

(ii) कार्य, कार्य करने में विफ़लता, या चूक जिसके परिणामस्वरूप बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और/या संज्ञानात्मक विकास को चोट या चोट लगने का जोखिम होता है, जैसे कि यह बच्चे के परिणामों की गंभीर उपेक्षा दर्शाता है और बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान ख़तरा पैदा करता है;

(iii) बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक या विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा करने में माता-पिता या अभिभावक द्वारा आचरण, व्यवहार या निष्क्रियता के एक पैटर्न का संचयी प्रभाव, जैसे कि यह बच्चे के परिणामों की गंभीर उपेक्षा दर्शाता है और एक स्पष्ट और बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद हो;

(iv) माता-पिता या अभिभावक की ओर से बुनियादी पैतृक कार्यों, दायित्वों, या कर्तव्यों को पूरा करने में पुरानी विफ़लता के प्रभाव जो बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, या संज्ञानात्मक विकास को चोट या चोट के पर्याप्त जोखिम का कारण बनते हैं, जैसे कि बच्चे के परिणामों के प्रति गंभीर उपेक्षा दर्शाता है और बच्चे के स्वास्थ्य, कल्याण या सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा करता है।

WAC 110-30-0030: **https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030**